भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3960
जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 मार्च, 2023 को दिया जाना है

## जिला न्यायालयों में सुविधाएं

**3960. श्री दिलीप शइकीया :**

**श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों और महाराष्ट्र के सतारा, शोलापुर और पुणे के जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों के न्यायालय कक्षों सहित न्यायालयों की खराब स्थिति पर ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त जिला न्यायालयों का आधुनिकीकरण करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्री**
**(श्री किरेन रीजीजू)**

**(क) से (ग) :** 1993-94 से सरकार द्वारा न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना का उद्देश्य बेहतर न्याय प्रदान करने को सुकर बनाने को ध्यान में रखते हुए देश में अधीनस्थ न्यायालयों की भौतिक अवसंरचना में सुधार करना है । इस योजना के अधीन केन्द्रीय निधियों की हिस्सेदारी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को विहित अनुपात में जारी की गई है, जो 8 एनईआर राज्यों और 2 हिमालयी राज्यों (उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश) जहां यह 90 : 10 हैं, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए यह 60:40 (केन्द्रीय : राज्यों) हैं और संघ राज्यक्षेत्रों की दशा में कोई राज्य हिस्सेदारी शामिल नहीं है । अब तक केन्द्रीय हिस्सेदारी 9812.82 करोड़ रुपये इसके प्रारंभ से स्कीम के अधीन जारी की जा चुकी हैं, जिसमें से 1022.72 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर राज्यों को जारी किए जा चुके हैं और महाराष्ट्र राज्य को 861.94 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं ।

उपरोक्त सीएसएस को समय-समय पर बढ़ाया गया है और अंतिम बार 2021 से 2026 तक पांच साल के लिए बढ़ाया गया था और डिजिटल कंप्यूटर कक्ष के 3 नए संघटक, शौचालय परिसर और वकील हॉलों को न्यायालय हॉलों और आवासीय इकाईयों को छोड़कर इस स्कीम के दायरे में लाया गया था ।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए न्यायिक अवसंरचना का निर्माण और उसका आधुनिकीकरण मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । न्यायिक अवसंरचना पर भारत सरकार की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम केवल राज्य सरकारों के संसाधनों का संपूरक है । न्यायिक अवसंरचना की बेहतरी के लिए निधियों के त्वरित उपयोग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं । राज्यों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वे उत्तर पूर्वी राज्यों और महाराष्ट्र राज्य के सतारा, सोलापुर और पुणे जिलों सहित जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना विकास परियोजनाएं चला रहे हैं ।

********